न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 130/2016/225 आर टी ए

1. सुमनदेवी पत्नि नरेश कुमार जाति जाट निवासी बीड़ भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. विधादेवी पत्नि धर्मसिंह जाति जाट निवासी बीड़ भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. गिरदावरी पत्नि रामसिंह उर्फ रणसिंह जाति जाट निवासी बीड़ भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. औमप्रकाश पि.मु. जुगलाल जाति नाई निवासी चक भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–––असल रेस्पो0

2. साधुराम पुत्र सुखलाल जाति नाई निवासी चक भोजासर तहसील भादरा हाल मुरादपुर तहसील व जिला हिसार हरियाणा।
3. थाम्बुराम पुत्र सुखलाल जाति नाई निवासी चक भोजासर तहसील भादरा हाल मुरादपुर तहसील व जिला हिसार हरियाणा।

–––तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 16.05.2016 न्यायालय उपखण्डाधिकारी भादरा
प्र0सं0 08/2010 बअनवानी साधुराम आदि बनाम औमप्रकाश आदि

उपस्थित :–
श्री हवासिंह पुनियां अधिवक्ता अपीलांटस
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांकः–06.02.2018

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांटस व रेस्पो0 सं. 2 व 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति पेश कर रेस्पो0 सं. 1 की भूमि मे से रास्ता स्वीकृत किये जाने अनुतोष चाहा गया जिसमे रेस्पो0 सं. 1 ने जवाब प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत रकबा पुराना खातेदारी रकबा है जो पूर्ववर्ती खातेदार से खरीद किया था जिसका रास्ता मु.न. 37 के पूर्वी ओर सड़क से 2 बीघा दूरी पर है, से आवागमन करते है यही रास्ता नजदीकी है, प्रार्थना पत्र किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर पक्की सड़क से मात्र 2 बीघा दूरी पर रास्ता होना मानकर प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने मौका निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पक्की सड़क से मात्र 2 बीघा दूरी पर रास्ता होना

मानकर प्रार्थना पत्र खारिज किया है जबकि विचारण न्यायालय का यह नैतिक कर्तव्य था कि सायलान का सुविधाजनक रास्ता कौनसा है। सायलान का सुविधाजनक रास्ता मु.न. 38 के कि.न. 5, 4, 3, 2 मे से ही है इस बात पर विचारण न्यायालय ने कोई गौर नही किया। कूननन स्थिति के मुताबिक जब आवागमन के लिये कोई रास्ता नही है तो सायलान के लिये सुविधाजनक रास्ता कौनसा है इस बात को ध्यान मे रखते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करना चाहिए था उसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज कर कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भ्ज्ञूमि पुरानी खातेदारी भूमि है जिस पर कॉलोनी कण्डीशन लागू ना होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू है। अपीलांटस ने उक्त रकबा पूर्ववर्ती खातेदार से खरीद किया था जिसका रास्ता मु.न. 37 के पूर्वी और भोजासर से बीड़ भादरा को जाने वाली सड़क से अपीलांटस वाली भूमि के बीच मे जो खातेदारी स्थित है तथा केवल दो बीघा दूरी पर है, से रास्ता लिया हुआ था और उसी से वर्षो से आवागमन करते है इसलिय वे अब नये स्थान से आवागमन करने हेतु अधिकृत नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं नायबतहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मे उल्लेखित किया है कि '' नायब तहसीलदार भादरा द्वारा प्रस्तुत मौका नक्शा के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि लालस्याही से दर्शाई गई है जिससे पक्की सड़क की दूरी मात्र 2 बीघा है एवं आवेदक द्वारा 4 बीघा कृषि भूमि मे से रास्ता की मांग की गई है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता उसकी खातेदारी से निकटतम एवं सुलभ नही होने के कारण रास्ता मंजूर किया जाना न्यायोचित नही है।'' जबकि रेस्पो0 सं. 1 का तर्क है कि अपीलांट को अपनी भूमि मे आवागमन के लिए कम दूरी का रास्ता मात्र 2 बीघा दूरी पर स्थित है जिसे स्वीकृत किया जा सकता है जो पक्की सड़क से मिलता है। अपीलांट द्वारा 5 बीघा रकबा मे से रास्ता चाहा गया है। वैकल्पिक रास्ता जो किसी अन्य काश्तकार है जिसे पक्षकार नही बनाया गया है।

6. अपीलांटस को अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन के लिए रास्ता परम आवश्यकता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैकल्पिक नजदीकी रास्ता उपलब्ध होने के कारण तथा वैकल्पिक रास्ता से प्रभावित काश्तकार पक्षकार नही होने के कारण रास्ता का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिसकी पुष्टि किया जाना उचित नही होने के कारण यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानों अनुसार प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि मे रास्ते की परम आवश्यकता के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुये रास्ता के संबंध मे मौका निरीक्षण रिर्पोट प्राप्त कर रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण किया जाना आपेक्षित है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.05.2016 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे वैकल्पिक रास्ता संबंधी मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत वैकल्पिक रास्ता से प्रभावित काश्तकारान को बतौर पक्षकार संयोजित किया जाकर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए नियमानुसार रास्ता के आवेदन का निस्तारण करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ